



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
Website/वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in  
E-Mail/ई-मेल: sgo@sancharnet.in



महासर्वेक्षक का कार्यालय  
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं० सी-6342/1979-एल०डी०सी०(1)(5%कोटा)

दिनांक: 06 सितम्बर, 2013

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: मुद्रण क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र ।

निदेशक: दक्षिणी मुद्रण वर्ग/झारखण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ।

विषय: ग्रुप 'डी' से अवर श्रेणी लिपिकों (5% कोटा के अन्तर्गत) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति/तैनाती ।

निम्नलिखित ग्रुप 'सी' (पूर्व ग्रुप 'डी') को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर (5% कोटा के अन्तर्गत) रूपये 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन रू० 1900/- के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	M Venkataiah, TL(SS) (SC)	SPG,Hyd.	GIS & RS, Hyderabad
2.	Khem Lal Ram,Kh (SC)	Jharkhand GDC, Ranchi	Jharkhand GDC, Ranchi
3.	Durga Prasad,Guard	NGDC, Dehra Dun	Uttarakhand & West UP GDC, Dehra Dun

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 07.10.2013 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उनकी अस्वीकृति की तारीख से उन्हें एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

क्रमशः.....2/